



King George's Medical University

Uttar Pradesh, Lucknow - 226003, India



Prof. Amita Jain
Dean Academics

Dean- Academics/KGMU/2023/
Dated:-

आदेश

निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन दिनांक 21 मार्च 2024 को आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकित पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम में एक वर्ष के लिए किया जाता है:-

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	विभाग	पाठ्यक्रम का नाम
1.	Sayed Saif Ahmad	Critical Care Medicine	PDCC in Critical Care Medicine
2.	Latika Tandon	Ophthalmology	Fellowship in Strabismus & Pediatric Ophthalmology
3.	Ashutosh Singh	Pulmonary and Critical Care	PDCC in Interventional Pulmonology

- उपरोक्त अभ्यर्थियों का कार्यकाल ज्वाइन करने की तिथि से एक वर्ष का होगा।
- पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तथा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 28 मार्च 2024 है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विभाग में पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम में ज्वाइन करने के पूर्व अधिष्ठाता कार्यालय (पी0एच0आई0 भवन) में समस्त मूलप्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना होगा तथा University Income Fund (A/C No. 20229846433) में शिक्षण शुल्क ₹0 61,100/- तथा काशन मनी ₹0 10,000/- (Caution Money Refundable) कुल शुल्क ₹0 71,100/- जमा करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को इस आशय का 10 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा कि यदि वह पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पहले, किसी समय, पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देते तो इन्हे शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम की अवधि में अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस अनुमत्य नहीं होगी। अवकाश नियमानुसार जो सीनियर रेजीडेंट पर लागू हों के अनुसार नोडल अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। अन्य सभी शर्तें जो रेजीडेंटों पर लागू हैं उनके ऊपर भी लागू होंगी। उक्त पाठ्यक्रम का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने की अनुमति नोडल अधिकारी/विभागाध्यक्ष से आख्या प्राप्त होने के पश्चात प्रदान की जायेगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता के हस्ताक्षर से प्रदान किया जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश संख्या 950/71-2-82-2017 द्वारा अनिवार्य सेवा बाण्ड के अन्तर्गत अन्य मेडिकल कालेजों में नियोजित किया गया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश से उक्त पाठ्यक्रम ज्वाइन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये तत्पश्चात ही उन्हें चयनित पाठ्यक्रम में ज्वाइन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(प्रो0 अमिता जैन)
डीन एकेडमिक्स

संख्या 691

तद्दिनांक:- 22/3/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- नोडल अधिकारी, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- कुलपति जी के निजी सचिव को।
- प्रभारी वेतन अनुभाग, वित्त कार्यालय, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को।
- फैलोशिप इंडिया, आइ0सी0सी0, के0पी0एच0, मुंबई, लखनऊ को।

इस प्रमाण से क्षति है कि कृपया अतः कि विश्वविद्यालय से वेबसाइट पर प्रकाशित कला सुनिश्चित करें।

(प्रो0 अमिता जैन)
डीन एकेडमिक्स